

शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक:

प्रो० डा० एस०एम० करीम

निदेशक, उच्च शिक्षा

सेवा में,

कुलसचिव

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा

पटना, दिनांक 05/9/2014

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-20581/2013 रामानुज शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.04.2014 को पारित न्यायादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-20581/2013 में दिनांक 23.04.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई किये जाने के क्रम में वादी श्री रामानुज शर्मा के संबंध में दिनांक 15.09.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी है।

2. इस क्रम में निम्नलिखित कागजात/ दस्तावेज उक्त बैठक में सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय:-

(i) वादी की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन तथा इस विज्ञापन के प्रकाशन में भुगतान की गयी राशि (ii) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 59 के अधीन कॉलेज सेवा आयोग से प्राप्त अनुशांसा के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनुमोदन से संबंधित कागजात तथा इससे संबंधित शासी निकाय की कार्यवाही पुस्तिका, (iii) वादी की नियुक्ति से भुगतान स्थगित होने तक भुगतान की गयी राशि से संबंधित विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय का कैंस बुक, बैंक स्टेटमेंट से संबंधित मूल अभिलेख तथा भुगतान पंजी (iv) सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-20581/2013 में विश्वविद्यालय द्वारा दायर प्रतिशपथ-पत्रों की प्रति।

3. अगर उक्त तिथि तक वांछित सभी अभिलेख/ कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो इससे संबंधित अधिकारी एवं कर्मों के उक्त तिथि के लिए अनुमान्य वेतन की कटौती कर विश्वविद्यालय को माहवार राशि विमुक्त की जायगी।

विश्वासभाजन

(एस० एम० करीम)

निदेशक, उच्च शिक्षा